

an>

Title: Need to redress the issues of Assam Rifles Welfare Association.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैरामिलिट्री फोर्सों से संबंधित एक-दो समस्याएं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। असम राइफल्स की गौरव गाथा लगभग 183 साल पुरानी है। इन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है और देश की सेवा कर रहे हैं। असम राइफल्स में 66 हजार सैनिक हैं, जिनकी देश के हर कोने से भर्ती होती है और नार्थ-ईस्ट में इनकी विशेष भूमिका रहती है।

इनकी एक बड़ी भारी समस्या है कि इन पर दोहरा नियंत्रण है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के नियंत्रण में असम राइफल काम करती है। ऑपरेशनली यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं और इनकी गिनती पैरामिलिट्री फोर्सों में होती है। इसकी वजह से जो इनके रिटायर्ड पर्सोनेल हैं, उनकी सुविधाओं में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि सरकार इनके प्रतिनिधिमंडल से मिले और इस समस्या का समाधान करे।

दूसरी समस्या एनपीएस को लेकर है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सों ही नहीं, बल्कि जो तमाम सरकारी इंप्लॉयज की यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी एक समस्या है कि जो 2004 की पेंशन नीति – एनपीएस, एनडीए सरकार में आई थी, उसके संबंध में सारे कर्मचारी मांग कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सों खासतौर पर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले वाली पेंशन नीति दोबारा लागू हो।

वर्ष 2004 के बाद जो एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) आई है, वह लाभकारी नहीं है, पुरानी वाली पेंशन स्कीम लागू हो।

तीसरी और अंतिम बात, मैं कहना चाहूंगा कि जो शहीद का स्टेट्स हैं, शहीद-शहीद में फर्क नहीं हो, सेना में शहीदों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, पैरामिलिट्री के जवानों को भी उतनी ही सुविधाएँ मिलें। देश की सुरक्षा के लिए कोई

जान देता है तो शहीद-शहीद में फर्क नहीं होना चाहिए। सैनिक के लिए जय-जवान का नारा दिया जाता है, इसलिए जवान का उपयोग राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान भी होना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Dr. Kulmani Samal and

Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Deepender Kumar Hooda.